उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 11 /VII-1/184–ख/2010
देहरादून : दिनांकः ~~दिसम्बर, 2010~~ 04 जनवरी, 2011

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर, तहसील काण्डा के ग्राम भदौरा में 20.00 एकड़ क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस प्राप्त करने के लिए खनिज परिहार नियमावली, 1960 के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक श्री भूपाल सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड़, जनपद बागेश्वर ने दिनांक 02.03.2000 को जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 142/एम0–2बी 185/2000, दिनांक 06 मई, 2000–01 द्वारा आवेदक से उनके आवेदन पत्र में पाई गई कमियों (आवेदक क्षेत्र का खसरा मानचित्र एवं खतौनी, शपथ पत्र केवल खड़िया खनिज का परिहार स्वीकृत न होने का उल्लेख है, जबकि किसी भी प्रकार के खनिज का परिहार स्वीकृत न होने का उल्लेख होना चाहिए एवं जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र) का निराकरण के आदेश दिये गये।

उप निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी–नैनीताल ने अपने पत्र संख्या 200/दो/पी0एल0/2000, दिनांक 16 मई, 2000 द्वारा आवेदक से उनके आवेदन पत्र में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु आदेशित किया गया। प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी–नैनीताल ने अपने पत्र संख्या 736/दो/पी0एल0/2000, दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 द्वारा आवेदक को आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल द्वारा दिनांक 24.10.2000 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में लम्बित प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा आवेदन पत्रों पर तत्काल निर्णय लिये जाने हेतु दिनांक 03.11.2000 को जिलाधिकारी, बागेश्वर के सभागार में एक बैठक आयोजित की गयी थी, जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम भदौरा में 20.00 एकड़ क्षेत्र में प्रा0ला0 हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाओं सहित उक्त बैठक में पूर्वाहन् 10:30 बजे उपस्थित होने के निर्देश दिये गये साथ ही यह भी सूचित किया गया कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी है, तो यह समझा जायेगा कि वे आवेदित क्षेत्र में प्रा0ला0 लेने के इच्छुक नहीं है और गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

जिलाधिकारी, बागेश्वर ने अपने पत्र संख्या 258/तीस–2/2000–01, दिनांक 17 जुलाई, 2001 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री भूपाल सिंह द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2000 को ग्राम भदौरा, तहसील व जनपद बागेश्वर में 20 एकड़ क्षेत्रफल पर प्रा0ला0 दिये जाने हेतु चार प्रतियों में आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ आवेदित क्षेत्र की खतौनी, 1893 की विज्ञप्ति के समय का खसरा, भूस्वामियों की खनन हेतु सहमति व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस हेतु आवेदक को दिनांक 27.04.2002 को नोटिस दिया गया परन्तु उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तथा आवेदक द्वारा पर्याप्त समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अभिलेख प्रस्तुत न करने से स्पष्ट है कि आवेदक प्रश्नगत क्षेत्र में प्रा0ला0 हेतु इच्छुक नहीं होने को दृष्टिगत आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2000 अपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी

खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 63A(B) के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त होने के 09 माह के अन्तर्गत निस्तारण किये जाने का प्राविधान है।

आवेदक श्री भूपाल सिंह कालाकोटी को खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–12(1) के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्याः 2474/VII-1/184–ख/2010, दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को सुनवाई में शासन के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। उक्त सुनवाई में जिलाधिकारी, बागेश्वर/उनके प्रतिनिधि तथा आवेदक/उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए।

अतः आवेदक का आवेदन पत्र खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम–63 A (B) को दृष्टिगत रखते हुएं आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पाई गई कमियों के निराकरण हेतु कोई रूचि न लिये जाने के कारण उनके प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2000 को एतद्द्वारा अस्वीकृत/निरस्त किया जाता है।

(एस0 राजू) 14/12
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 11 (1)/VII-1/184–ख/2010, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या 1114मु0ख0/34/बागे0/भू0खनि0इ0/2010–11, दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 के क्रम में।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. श्री भूपाल सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम व पोस्ट दोफाड़, जनपद बागेश्वर।

आज्ञा से,

(एस0राजू)
प्रमुख सचिव।

04/11/12